छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 2,1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम,1956 (क्रमांक 1 सन् 1956)की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(1) छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कंपनी मर्यादित,

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वितरण होल्डिंग कंपनी मर्यादित,

(3) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित तथा

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित

के बार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1.1.2009 से 31.3.2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, ताम्रध्वज साहू, डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त राशि का उपयोग नहीं किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में हसदों बांगों मिनीमाता परियोजना के अंतर्गत नहर सुधार कार्य नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू,सभापति,गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य द्वारा दिनांक 18 फरवरी,2013 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

रायपुर
दिनांक 20 फरवरी,2013

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.